



क्रमांक: F21/NRHM/ASHA/ Block ASHA facilitator/2437

दिनांक: 11/07/14


समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

**विषय:-** समस्त ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर/आशा सुपरवाइजर को आशा कार्यक्रम की  
मॉनिटरिंग के लिये रु 500/- प्रतिमाह (Mobility Support) दिये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आदेश क्रमांक NRHM/ASHA/ (sanction)/2013-14/315  
दिनांक 20.01.2014 के द्वारा निदेशालय से समस्त आशा फैसिलिटेटर तथा समस्त आशा  
सुपरवाइजर को वर्ष 2013-14 के लिए रु 500/- प्रतिमाह Mobility Support दिये जाने का  
आदेश पारित हुआ था लेकिन अत्यन्त खेद का विषय है कि अभी तक उन्हें पूर्ण भुगतान नहीं  
किया गया है। इससे कार्यक्रम की मंशा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा वर्ष 2013-14 में किये गये यात्राओं  
के लिए संलग्न फॉर्मेट में रिपोर्ट मिलने पर उन्हें यथाशीघ्र भुगतान करवाकर निदेशालय को 10  
दिवस में सूचित करे तथा भविष्य में भी उन्हें आशाओं के कार्यों का बारीकी से अवलोकन करने एवं  
आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित करे।

संलग्न -उपरोक्तानुसार

  
मिशन निदेशक  
एनएचएम

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग एवं मिशन निदेशक,  
एनएचएम।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, निदेशक-आरसीएच।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनआरएचएम समस्त जिले राजस्थान।
7. जिला आशा समन्वयक, एनआरएचएम समस्त जिले राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता  
है कि उक्त निर्देश की पालना रिपोर्ट राज्य स्तर पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
8. प्रभारी सर्वर रूम को पत्र संबंधित को ई-मेल हेतु।

  
मिशन निदेशक  
एनएचएम

## Mobility Support Format

जिला:-

पी.एच.सी:-

ब्लॉक:-

फैसिलिटेटर/सुपरवाइजर का नाम:-

क.सं	यात्रा का दिनांक	गाँव का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	सुझाव

हस्ताक्षर  
(विकित्सा अधिकारी प्रमारी)  
प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र